



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

वृत्तुथ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 23353503, फैक्स : 23753923

याचिका सं. 316/टीएल/2022

दिनांक: 9.1.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड, (अब 'पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड' के नाम से ज्ञात), बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार पर 'पूर्वी और उत्तर पूर्वी प्रदेशों के लिए प्रणाली सुदृढीकरण योजना हेतु अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली' (इसके बाद 'परियोजना' के रूप में संदर्भित) स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 और धारा 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	संबंधित घटक के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) को घोषित करने के लिए पूर्वापेक्षित घटक
1.	बांका (पावरग्रिड) सबस्टेशन पर 220 केवी जीआईएस बस का निर्माण	24	क्रम सं. 1, 2, 3 और 4 पर उल्लिखित घटकों का एक-साथ आरंभ किया जाना अपेक्षित है चूंकि उनका उपयोग एक-दूसरे के आरंभ पर निर्भर है।
2.	बांका (पावरग्रिड) 400/132 केवी सबस्टेशन पर 400 केवी बस एक्सटेंशन कार्य		
3.	संबद्ध बे (जीआईएस में 220 केवी बे और एआईएस में 400 केवी बे) के साथ 400/220 केवी, 2x500 एमवीए आईसीटी		
4.	बांका (पावरग्रिड) - बीएसपीटीसीएल की गोराडीह (साबोर नवीन) 220 केवी डी/सी लाइन की समाप्ति के लिए बांका (पावरग्रिड) पर 220 केवी जीआईएस लाइन बे के 2 नंबर भावी प्रावधान: भावी 220 केवी जीआईएस बे के लिए स्थान: 6 नंबर		
5.	मौजूदा 132 केवी नामसाई (पावरग्रिड) सबस्टेशन से 220 केवी (जीआईएस के रूप में 220 केवी साइड के साथ) में उन्नयन	36	क्रम सं. 5, 6, और 7 पर उल्लिखित घटकों का एक-साथ आरंभ किया जाना अपेक्षित है चूंकि उनका उपयोग एक-दूसरे के आरंभ पर निर्भर है।
6.	कथलगुरी (नीपको)-नामसाई (पावरग्रिड) 220 केवी डी/सी लाइन		
7.	कथलगुरी (नीपको) स्विचबोर्ड पर विस्तार: कथलगुरी (नीपको)-नामसाई की समाप्ति के लिए जीआईएस लाइन बे के 2 नंबर		

2. आवेदक का चयन, अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 350.0 मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों सहित सेवा प्रदायक के रूप में किया गया है।

3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 7.11.2022 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संस्तुत किया है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 316/टीएल/2022 में दिनांक 8.1.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।

5. ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड, (अब 'पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड' के नाम से ज्ञात) को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 20.1.2023 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा दिनांक 24.1.2023 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह धूथी)
सचिव